

भारत सरकार  
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1564

जिसका उत्तर 27 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

कोयला खानों में भूमिगत आग

1564. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड सहित देश की कुछ कोयला खदानें काफी समय से भूमिगत आग का सामना कर रही हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खदानों में ऐसी भूमिगत आग लगने के कारण कितना अनुमानित नुकसान हुआ है;

(ग) कोयला खदानों में ऐसी भूमिगत आग लगने के क्या कारण हैं और उसे रोकने के क्या तरीके हैं; और

(घ) क्या सरकार ने कोयला खदानों में भूमिगत आग को रोकने/नियंत्रित करने के उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): झारखंड में झरिया कोलफील्ड्स(जेसीएफ) में खनन क्षेत्रों को छोड़कर कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला खानें काफी समय से भूमिगत आग का सामना नहीं कर रही हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल ) के लीज होल्ड के भीतर झरिया कोलफील्ड खनन क्षेत्र कोलफील्ड खनन के सैकड़ों साल पुराने इतिहास के कारण आग और धंसाव की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात वर्ष 2009 में अनुमोदित मास्टरप्लान के अनुसार जांच पड़ताल करने के पश्चात बीसीसीएल के लीज होल्ड में जेसीएफ में 70 आग होने का पता चला था। तत्पश्चात 7 (सात) और आग का पता लगाया गया था जिससे आग की कुल संख्या 77 हो गयी। आग वाले इन 77 क्षेत्रों में से दस (10) आग को बीसीसीएल के गठन के पश्चात किए गए नियंत्रण उपायों के कारण पूर्णतः बुझा दिया गया था। आग वाले शेष क्षेत्रों में आग बुझाने का कार्य चल रहा है।

(ख): अनुमोदित झरिया मास्टर प्लान के अनुसार वर्ष 2009 में एक आकलन किया गया था कि झरिया कोलफील्ड्स में आग के कारण लगभग 37 मिलियन टन अच्छी किस्म का प्राइम कोकिंग कोल बर्बाद हुआ है तथापि पिछले 3 वर्षों में कोई और आकलन नहीं किया गया है।

**(ग):** राष्ट्रीयकरण से पूर्व भूमिगत आग की शुरुआत मुख्यतः निजी मालिकों द्वारा अवैज्ञानिक खनन के कारण तथा अन्य कारणों जैसे कि चौड़ी गैलरियों वाले पूर्ण ऊंचाई निष्कर्षण की पुरानी कार्यप्रणाली होने, कम गहराई में मल्टी सीम और मल्टी सेक्शनविकास, रेत भराई वाले निष्कर्षित लोअर सीम के नीचे विकसित सीम्स की मौजूदगी आदि के कारण भी हुई थी।

भूमिगत आग के संबंध में कोयला खान विनियमन (सीएमआर), 2017 में निर्धारित कानूनी उपबंध के अनुपालन के अलावा परंपरागत पद्धतियों जैसे कि (i) एक्सकेवेशन, (ii) ट्रैचिंग द्वारा अलगाव (iii) ब्लाइंड फ्लशिंग, (iv) सरफेश सिलिंग (v) भूमिगत स्टॉपिंग के द्वारा अलगाव (vi) क्वैचिंग और कूलींग (vii) वाटर कर्टन द्वारा कूलींग और (viii) फ्लडिंग का उपयोग किया जाता है जिनकी सफलता दर अलग-अलग है।

आग नियंत्रण और शमन की अन्य पद्धतियां: (i) इनर्ट गैस इंजेक्शन, (ii) रासायनिक उपचार, (iii) मॉडीफाईड बल्क फिलिंग (वाटर/स्लरी) और (iv) मॉडिफाईड बल्क फिलिंग (न्यूमेटिक) हैं।

**(घ):** बीसीसीएल के लीजहोल्ड में आग, धंसाव और पुनर्वास के संबंध में सीएमपीडीआई द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था तथा भारत सरकार द्वारा इसे अगस्त 2009 में अनुमोदित किया गया था। बीसीसीएल ने एक रणनीतिक योजना को अपनाया और एचईएमएम द्वारा आग वाले क्षेत्रों में खुदाई करके आग को समाप्त करने का निर्णय लिया। नेशनल रिमोट सेसिंग सेंटर, हैदराबाद द्वारा नियमित अंतराल पर सतही आग अध्ययन किया जा रहा है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

\*\*\*\*\*